

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव,

सेवा में,

समाहर्ता,
प0 चम्पारण/कटिहार/जमुई/बॉका/पूर्णिया/किशनगंज/कैमूर/
सीवान/गोपालगंज/भागलपुर/बक्सर/मुंगेर/अररिया/रोहतास/सारण।

फैक्स/
ई-मेल

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उपशीर्ष 0101-गृह विहिनों के लिए वास भूमि मांग संख्या- 40 विपत्र कोड-40-4047007960101 विषय शीर्ष-5302 भू-अर्जन अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2017-18 में कुल 1,33,00,000/- (एक करोड़ तैतीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या-804(8)/रा0 दिनांक-14.09.2017 आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि के आलोक में बिहार गृह स्थल क्रय नीति 2011 अन्तर्गत टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत गृह विहिनों परिवारों के लिए वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु उनके नाम के सामने अंकित राशि कुल 1,33,00,000/- (एक करोड़ तैतीस लाख) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	जिला	वर्तमान वर्ष में पूर्व में आवंटित राशि	स्वीकृत राशि (रुपये में)	आवंटित राशि (रुपये में)	कुल आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1	प0 चम्पारण	शून्य	18,00,000/-	18,00,000/-	18,00,000/-
2	कटिहार	शून्य	16,00,000/-	16,00,000/-	16,00,000/-
3	जमुई	शून्य	13,00,000/-	13,00,000/-	13,00,000/-
4	बॉका	शून्य	13,00,000/-	13,00,000/-	13,00,000/-
5	पूर्णिया	शून्य	12,00,000/-	12,00,000/-	12,00,000/-
6	किशनगंज	शून्य	11,00,000/-	11,00,000/-	11,00,000/-
7	कैमूर	शून्य	10,00,000/-	10,00,000/-	10,00,000/-
8	सीवान	शून्य	8,00,000/-	8,00,000/-	8,00,000/-
9	गोपालगंज	शून्य	7,00,000/-	7,00,000/-	7,00,000/-
10	भागलपुर	शून्य	6,00,000/-	6,00,000/-	6,00,000/-
11	बक्सर	शून्य	5,00,000/-	5,00,000/-	5,00,000/-
12	मुंगेर	शून्य	5,00,000/-	5,00,000/-	5,00,000/-
13	अररिया	शून्य	4,00,000/-	4,00,000/-	4,00,000/-
14	रोहतास	शून्य	3,00,000/-	3,00,000/-	3,00,000/-
15	सारण	शून्य	2,00,000/-	2,00,000/-	2,00,000/-
	कुल		1,33,00,000/-	1,33,00,000/-	1,33,00,000/-

(एक करोड़ तैतीस लाख) रुपये मात्र।

कृ0पृ0उ0

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।
3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
4. राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय साथ ही राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, (बजट) बिहार, पटना/ सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-8/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

.....
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।